न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या –05 / 2018 (आव0व0अधि0)

GCMS NO. 2018/00034

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

श्री मैसर्स जय महाकाल टिफिन सेन्टर, विज्ञान नगर कोटा

श्री सूर्य नागर पुत्र श्री नाथूलाल नागर निवासी नारिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।

––अप्रार्थीगण.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 20.07.2021

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्री अरविन्द आचार्य प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 17(2)खा.वि. / न्याय / 2000 जयपुर दिनांक 19.2.2018 की अनुपालना बाबत दल में सम्मिलित सदस्य श्रीमति संध्या सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी, श्री अरविन्द आचार्य, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री अमित शर्मा, निरीक्षक जांच हेतु मैसर्स जय महाकाल टिफिन सेन्टर विज्ञान नगर कोटा के यहां पहुंचे मौके पर मालिक श्री सूर्य नागर पुत्र श्री नाथूलाल नागर निवासी नारिया तहसील सांगोद जिला कोटा उपस्थित मिले, जहां पर घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अवैध संग्रहण की जांच की गई ।, वक्त जांच इस प्रकार स्थिति पाई गई कि मैसर्स जय महाकाल टिफिन सेन्टर, विज्ञान नगर कोटा श्री सूर्य नागर पुत्र नाथूलाल नागर निवासी नारिया तहसील सांगोद द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण किया जाना पाया गया तथा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर भोजन बनाकर कीमतन विक्रय किया जा रहा था ।

इस प्रकार मौके पर पाये गये निम्नांकित विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध संग्रहण करने के कारण द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) आदि धाराओं का उल्लंघन पाये जाने से मौके से जप्त किया जाकर मौके पर ही उपस्थित श्री विरेन्द्र प्रताप पुत्र श्री भगवान निवासी 76 शक्ति नगर कोटा दिनेश गैस एजेन्सी, विज्ञान नगर कोटा को सुपुर्दगी में शर्तो के अनुसार दिया गया । सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है :–

क.सं.	तेल कम्पनी का नाम	गैस सिलेण्डर्स के एस.आर.नं.	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रोस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)
1	IOCL	196539	15.3	15.3	NIL
2	IOCL	1241985	15.3	29.8	14.3

जिला कलेक्टर
कोटा

2. इस प्रकार उक्त मैसर्स जय महाकाल टिफिन सेन्टर विज्ञान नगर कोटा श्री सूर्य नागर पुत्र श्री नाथूलाल नागर निवासी नारिया तहसील सांगोद जिला कोटा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पैट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) (ए), (बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 02 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर्स को राजसात करने के आदेश प्रदान फरमावें ।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 बी के अधीन नोटिस जारी किया गया । टिफिन सेन्टर पर उक्त व्यक्ति के नहीं मिलने पर उनके पैतृक गांव में नोटिस भेजा गया किन्तु गांव में भी पूछताछ में कोटा में रहना बताया तथा मौबाईल भी बन्द होने से नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुआ । अप्रार्थी के बताये पते पर नहीं मिलने से अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया । अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु गठित जांच दल के द्वारा मैसर्स जय महाकाल टिफिन सेन्टर विज्ञान नगर कोटा में श्री सूर्य नागर पुत्र श्री नाथूलाल नागर निवासी नारिया तहसील सांगोद कोटा उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को दुकान का मालिक होना जाहिर किया । श्री सूर्य नागर की उपस्थिति में दुकान की जांच की गई । जांच के दौरान 02 घरेलू गैस का सिलेण्डर का उपयोग ग्राहकों के लिए भोजन बनाकर कीमतन बिक्री किये जाने पर मौके पर ही राजहित में जप्त सरकार किये गये ।

5. इस प्रकार श्री सूर्य नागर पुत्र श्री नाथूलाल नागर निवासी नारिया तहसील सांगोद द्वारा मैसर्स जय महाकाल टिफिन सेन्टर, विज्ञान नगर कोटा पर अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1), (ए),(बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

6. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत सीज्ड माल 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscation) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा